



HAMIRPUR POLICE



थाना जलालपुर/थाना राठ

दिनांक-06.09.2021

02 अवैध गुटका फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में अपमिश्रित तम्बाकू एवं गुटका सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 05.09.2021 को थाना जलालपुर पुलिस एवं थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध गुटका फैक्ट्री का खुलासा किया गया, भारी मात्रा में अपमिश्रित तम्बाकू एवं गुटका सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

➤ थाना जलालपुर पुलिस द्वारा ममना-सरीला तिराहा से चेकिंग के दौरान मारुति सुजुकी नं0 UP16 AD 1552 से 02 अभियुक्तों 1)देवेन्द्र कुमार लोधी पुत्र बाबूराम, 2)सत्यम पुत्र हरचरन अहिरवार निवासीगण मु0 बारह खम्बा कस्बा व थाना राठ के कब्जे से 30 बण्डल अपमिश्रित तम्बाकू, गुटका बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के पूछताछ से अभियुक्त रामप्रकाश गुप्ता उर्फ पप्पू झिन्ना निवासी सिकन्दरापुरा कस्बा राठ के मकान से 05 अदद गुटका मशीन व भारी मात्रा में तम्बाकू, सुपारी के कई नामी ब्राण्ड (जैसे-रजनीगन्धा, श्री, धानी आदि) के अपमिश्रित तथा स्वास्थ्य के लिए नितान्त हानिकारक तत्वों से बना गुटका, खाली रैपर भारी मात्रा में बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जलालपुर में मु0अ0सं0-163/21 धारा-420/467/468/471/272/273/353 आईपीसी व धारा 59 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। सभी गिरफ्तार अभियुक्त अभयस्थ अपमिश्रित तम्बाकू, सुपारी मिलाकर बनाने वाले गुटका के बड़े माफिया व व्यवसायी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम:-

- 1)देवेन्द्र कुमार लोधी पुत्र बाबूराम उम्र 45 वर्ष निवासी मु0 बारह खम्बा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर
- 2)सत्यम पुत्र हरचरन अहिरवार उम्र 20 वर्ष निवासी मु0 बारह खम्बा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदगी:-

- 1)लाल रंग के रैपर में लाकडाउन ब्रान्ड के सुपाडी तम्बाकू से बने अपमिश्रित गुटका के 13 बैग 2)नीले लालरंग के रैपर में 300 (इन्डियन) ब्रान्ड के 14 बैग
- 3)काले लाल रंग के रैपर में श्री ब्रान्ड के 16 बैग
- 4)चाकलेटी रंग के रैपर में 50 नम्बर सुपारी ब्रान्ड के 28 बैग
- 5)हरे रंग के रैपर में इण्डियन विराट ब्रान्ड के 14 बैग
- 6)चाकलेटी रंग के रैपर में 00 रजनी गन्धा ब्रान्ड के 21 बैग
- 7)पीले रंग के रैपर में साई प्लस ब्रान्ड के 6 बैग
- 8)जूट का 23 बोरा जिसके अन्दर नकली तम्बाकू भरी है प्रति बोरे का वजन लगभग 40 किलो
- 9)25 बोरी में नकली रैपर के बंडल, जिसमें श्री ब्रान्ड, धानी ब्रान्ड, रजनीगन्धा ब्रान्ड, 300 (इन्डियन ब्रान्ड) लाकडाउन ब्रान्ड, 50 नम्बर सुपारी ब्रान्ड आदि के है प्रत्येक बंडल का वजन 43 किलो
- 10)दो कट्टी बोरी में तम्बाकू सुपारी मिश्रित
- 11)एक बोरी में खाली सफेद पोलिथीन

- 12)5 अदद गुटका मशीन
- 13)एक स्विफ्ट डिजायर कार
- 14)एक मोटर साइकिल

➤ **सम्पूर्ण बरामद माल की अनुमानित कीमत -30,00,000/- (तीस लाख रूपये)**

➤ **थाना राठ पुलिस** द्वारा मुखबिर की सूचना कि एक व्यक्ति मुहाल सिकन्दरपुरा मे बाडा मे बिना लाइसेन्स के धोखाधडी से सुपारी व तम्बाकू व खराब लोंग की लकडी व अन्य स्वास्थ्य के लिए नितान्त हानिकारक तत्वों आदि से बना खाने का गुटका बना रहा है, उपरोक्त सूचना पर थाना राठ पुलिस द्वारा एलआईसी बिल्डिंग के बगल में एक कमरे के अन्दर तम्बाकू ,लोंग की लकडी व कटी हुई सुपाडी को मिलाकर बोरे में भरा जा रहा था, जिससे तम्बाकू व लोंग की गंध आ रही थी। मौके से पुलिस टीम द्वारा आरोपी रामप्रकाश गुप्ता उर्फ पप्पू झिन्ना पुत्र दुलीचन्द्र गुप्ता निवासी मुहल्ला सिकन्दपुरा कस्बा व थाना राठ को मौके पर पकडकर गुटका बनाने का लाइसेन्स मांगा गया तो नही दिखा पाया। पुलिस फोर्स द्वारा कमरे की तलाशी ली गयी तो भारी मात्रा में मिश्रित गुटका बनाने की सामग्री व अन्य संबन्धित सामान बरामद हुई। अभियुक्त को हिरासत में लेकर सामान व अवैध गुटका बनाने की सामग्री को कब्जे मे लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना राठ पर मु0अ0सं0-456/21, धारा-272/420/467/468/471 आईपीसी व धारा-59 खाध सुरक्षा अधि0 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

1)रामप्रकाश गुप्ता उर्फ पप्पू झिन्ना पुत्र दुलीचन्द्र गुप्ता उम्र 40 वर्ष नि0 मुहल्ला सिकन्दपुरा कस्बा व थाना राठ

बरामदगी:-

- 1) 83 बोरा साबूत सुपारी
- 2) 04 बोरा कटी हुयी सुपारी
- 3) 02 बोरी तम्बाकू
- 4) 02 बोरी लोंग की लकडी
- 5) 01 बोरा मे कटी हुयी सुपारी व तम्बाकू का मिश्रण
- 6) 06 बण्डल नकली रैपर 300 मार्का
- 7) 03 अदद सुपारी काटने की मशीन
- 8) 01 अदद एलीवेटर
- 9) 01 अदद इलेक्ट्रनिक तराजू



➤ **सम्पूर्ण बरामद माल की अनुमानित कीमत -35,00,000/- (पैंतीस लाख रूपये)**

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम थाना राठ</u>	<u>गिरफ्तार करने वाली टीम थाना जलालपुर</u>
1. प्र0नि0 राठ राजेश चन्द्र त्रिपाठी	1. प्र0नि0 जलालपुर विनोद कुमार
2. उ0नि0 यज्ञनारायण भार्गव	2. उ0नि0 श्री गुलाब सिंह
3. का0 पंकज कुमार	3. का0 जीतेन्द्र कुमार
4. का0 शक्ति सिंह	4. रि0का0 विशाल शर्मा
5. का0 कमल सिंह	5. चालक हे0का0 प्रभाकान्त शुक्ला
6. का0 सतेन्द्र पाल सिंह	

➤ **सम्पूर्ण बरामद माल की अनुमानित कीमत का कुल योग:- 65,00,000/- (पैंसठ लाख रूपये)**